न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यारित)

प्रकरण संख्या 114/2017
प्रविष्टि दिनांक 14–12–2017

श्योजीराम पुत्र बजरंगा जाति मीणा निवासी चतरपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला–टोंक राजस्थान

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार उनियारा दिनांक 26–9–2017 मिसल सं0 22/2017

उपस्थिति (1) श्री विजयबहादुरसिंह अपीलान्ट
(2) श्री जुगनू शर्मा,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 24–2–2021**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 26–119–2017 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 669/287 रकबा 0.18 है0 बारानी एंव खसरा नम्बर 683/288 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम चतरपुरा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर भूमि में उडद की फसल काश्त करने पर फसल नीलाम करने, भूमि से बेदखल करने 180/रूपये की पेनल्टी कायम कर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को तहसीलदार उनियारा द्वारा निर्णय से पूर्व नोटिस नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना सुने [illegible] का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय निर्णय पारित करने में गल[illegible] अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की [illegible] न ही स्वय द्वारा मौका देखा गया है। अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर [illegible] कब्जा नही है। पटवारी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:12:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

दुर्भावना पूर्वक अपीलान्ट के विरूद्ध रिपोर्ट पेश की गई जिसके आधार पर ही उक्त निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार ने विश्वास करके जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अपीलान्ट के अभिभाषक का यह भी कथन है कि नायब तहसीलदार ने अपीलान्ट को एक ही निर्णय के द्वारा तीन सजाएँ क्रमशः बेदखल करने पेनल्टी कायम करने व सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजायें एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी नहीं हुई थी जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय की नकल लेकर मय दफा–5 के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत कर रहा है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 669/287 रकबा 0.18 है0 बारानी एंव खसरा नम्बर 683/288 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम चतरपुरा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर उडद की फसल काश्त कर कब्जा किया है। अपीलान्ट को नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है, नोटिस पर श्योजीराम स्वंय की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ है । अपीलान्ट ने इस भूमि पर पहले भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में भी बेदखल किया गया था। अपीलान्ट ने अब पुनः अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होंता है कि अपीलान्ट ने राजकीय भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 669/287 रकबा 0.18 है0 बारानी एंव खसरा नम्बर 683/288 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम चतरपुरा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर उडद की फसल काश्त की है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप उसकी संवय की तामील हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक उपस्थित नहीं हुआ है । अपीलान्ट ने इस भूमि पर पहले भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखल किया गया था। अपीलान्ट ने अब पुनः अतिक्रमण किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 26–9–2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24–2–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोक
जिला कलेक्टर
टोक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:12:21 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner